न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2015/00224 (10/2015) 223 आरटीएक्ट

रामकुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. मातूराम पुत्र श्योनाथ जाति जाट निवासी बड़ी बहन, तहसील व जिला रोहतक (हरियाणा) –फौत

   1ए–पृथ्वी
   1बी–रघुवीर
   1सी–धर्मा
   1डी–रणवीर
   1ई – वीरमति

   } पिसरान स्व0 श्री मातूराम पुत्र श्री श्योनाथ अकवाम जाट निवासीयान बड़ी बहन, तहसील व जिला रोहतक (हरियाणा)

2. महीराम पुत्र श्योनाथ जाति जाट निवासी बड़ी बहन, तहसील व जिला रोहतक (हरियाणा)–फौत

   2ए चन्द पुत्री स्व0 श्री माहीराम पुत्र श्योनाथ

   2 बी– रिशालो पत्नी स्व0 श्री माहीराम पुत्र श्योनाथ

3. चन्दगीराम } पुत्रगण श्री श्योनाि जाति जाट निवासीगण बड़ी बहन,
4. दरियाराम } तहसील व जिला रोहतक (हरियाणा)–फौत

5. मनीराम पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

6. अमीलाल पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ –(फौत)

   6ए–छननो बेवा स्व श्री अमीलाल पुत्र स्व0 श्री माडूराम

   6बी– मीरा पुत्री स्व0 श्री अमीलाल पत्नी श्री नरेन्द्र पुत्र श्री रामकिशन जाति जाट निवासी राजपुरा (जोडकिया) तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

   6 सी–धोली पुत्र स्व0 श्री अमीलाल पत्नी मांगीराम जाति जाट निवासी राजपुरा (जोडकिया) तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6डी– बजरंगलाल पुत्र स्व श्री अमीलाल जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा –– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2015 द्वारा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा प्रकरण संख्या 159/2013 बअनवानी रामकुमार बनाम मातूराम व अन्य

श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।
श्री बहादुर राम स्वामी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक – 06.01.2020

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट 1955 में प्रस्तुत कर कथन कियाकि फरीकैन के मारूस मेवा के दो पुत्र माडूराम व मोटाराम उत्पन्न हुए। माडूराम अपने पिता मेवा के जीवनकाल में अपने मामा कालू पुत्र कुसला जिसक कोई औलाद नही थी के दिनांक 29.11.1919 को खोले चला गया व उसी रोज हस्ब रिति रिवाज दिनांक 29.11.1919 को एक खोला नामा माडू को खोले लेने बाबत दिनांक 29.11.1919 को तहरीर एवं तकमील करवा दिया। मेवा के समय की रौही मौजा भिरानी में 46 किला 3 बिस्वा खाम भूमि हुआ करती थी जो माडू के अपने मामा कालू के यहां खोले जाने के कारण तन्हा मोटा में निहित हो गई तथा कालू की सम्पति माडूराम को प्राप्त हुई।
2. मोटाराम के भी कोई नरीना औलाद नही होने के कारण उसने दिनांक 03.07.1944 को फरीकैन में प्रचलित रिति रिवाज के अनुसार माडूराम के पुत्र रामचन्द्र को खोले लिया एक खोला नामा सब रजिस्ट्रार के समक्ष तहरीर एवं तकमील रजिस्टर करवा दिया उसी रोज से रामचन्द्र मोटा को खोलायत पुत्र हो गया।
3. रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 203/184 के मु. नं. 325 किला नं. 15,16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, मु. नं. 360 किला नु. 2, 3, 4, ,7, 8, 9, 10, मु. नं. 457 किला नं. 21 मु. नं. 458 किला नं. 25, मु. नं. 491 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 कुल 28 किला बारानी कृषि भूमि स्थित है जो मेवा के समय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। मेवा के जीवनकाल में माडू अपने मामा कालू के खोले जाने के कारण मेवा की उक्त 28 किला कृषि भूमि में तन्हा मोटाराम खातेदार काश्तकार हो गया। मोटाराम का भी अर्सा दराज पूर्व देहान्त हो चुका है। बाद बफात मोटा उक्त कृषि भूमि रामचन्द खोलायत पुत्र मोटाराम में निहित हो गई। मोटाराम की उक्त कृषि भूमि जो उसे अपने पिता मेवाराम से प्राप्त हुई थी सहवन माडूराम व मोटाराम दोनों के नाम दर्ज हो गई तथा माडू की मृत्यु के बाद 1/2 हिस्सा में मनीराम व अमीलाल प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज करवा ली एवं मोटिया उर्फ मोटाराम का नाम 1/2 हिस्से में बदस्तूर कायम रहा जब माडूराम के खोले जाने के कारण उसका व उसके पुत्रों मनीराम व अमीलाल का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही रहा था क्यों कि माडूराम अपने मामा कालू का वारिस हो गयाथा। वादी रामकुमार अपने पिता से करीब 15 वर्ष पूर्व अलग हो गया था। वादी रामकुमार अपने ताउ रामचन्द्र के अकेले व कुंवारे होने के कारण उसकी सेवा किया करता था तथा रामकुमार के खाने पीने व बीमारी आदि का खर्चा वादी रामकुमार वहन किया करता था। रामचन्द्र वादी की सेवा से बहुत प्रसन्न था रामचन्द्र की मृत्यु कर्म, खाने–पीने, बीमारी आदि का सारा खर्चा वादी रामकुमार ने वहन किया था। रामचन्द्र ने अपनी मृत्यु से पूर्व वादी की सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 28.7.87 को अपनी समस्त सम्पति वादी के हक में वसीयत कर दी थी व एक वसीयतनामा वादी के हक में दिनांक 28.7.87 को तहरीर एवं तकमील करवा दिया। राचमन्द्र का देहान्त हो गया। वाद भूमि जो रामचन्द्र को अपने पिता मोटाराम से प्राप्त हुई थी का वादी रामचन्द्र द्वारा करवाई गई वसीयत की अनुपालना में वादी खातेदार काश्तकार हो गया। मृतक रामचन्द्र द्वारा वादी के हक में तहरीर एवं तकमील करवाई गई वसीयत वादी की पत्नी द्वारा अपने सन्दूक में रखी हुई थी जो उसके पुराने कपड़ों में इधर उधर हो गई थी और वादी को नहीं मिल सकी गत दिनों भारी बरसात के कारण वादी के मकानात की छतें खराब हो गई उसमें पानी गिरने लगा वादी ने अपने घर के मकान को खराब होने से बचाने के लिए सारा सामान बांध कर पड़ोसियों के मकान में डाला। इस दौरान कपड़ों मं धंसी हुई वसीयत निकल कर गिरने पर उक्त वसीयत वादी को मिली इसलिए अब वादी वसीयत मिलने पर उसके आधार पर न्यायालय में फरियादी हुआ है। वादी को वसीयत मिलने पर व वसीयत सायल के पक्ष में होने का प्रतिवादीगण को जब पता चला तो उन्होंने भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी दी और वादी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

को कहा कि न्यायालय में हमारा वाद चल रहा है। वादी द्वारा पता करने पर मालूम हुआ कि मृतक रामचन्द्र ने श्रीमान अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नोहर व सहायक कलक्टर मु0. नोहर भादरा के न्यायालय में वादग्रस्त कृषि भूमि की बाबत अलग अलग दावे कर रखे हैं तब वादी द्वारा दोनों दावों के सम्बन्ध में पूर्ण तथ्य मालूम करने पर ज्ञात हुआ कि रामचन्द्र की मृत्यु के बाद दोनों दावों में प्रतिवादीगण ने आपस में दुर्भि सन्धी वादी के खिलाफ कर रखी है। वादी को जान बूझकर दावे में पक्षकार नही बनाया और रामचन्द्र की जगह प्रतिवादी गण नं. 1 ता 4 ने दुर्भिसन्धी कर मृतक रामचन्द्र की जमीन हडप करने के लिए अपने आपको मृतक रामचन्द्र के दूर का रिश्ता बतलाकर रामचन्द्र के उत्तराधिकारी के रूप में बतौर विधिक प्रतिनिधी दावा अपना नाम दर्ज करवा लिया, जबकि रामचन्द्र का प्रतिवादी नं. 1 ता 4 के साथ कोई भी नजदीकी रिश्तेदारी एवं सम्बन्ध विद्यमान नहीं थे एवं मृतक रामचन्द्र द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत करने के कारण वादी ही उसका एक मात्र उत्तराधिकारी था। वादी ने रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत दावे व वकालतनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर उस पर रामचन्द्र द्वारा किये गये अंगूठा निशान की रामचन्द्र द्वारा दिनांक 28.7.87 को वादी के हक में की गई वसीयत में किये गये अंगूष्ठ निशान को मिलान कावाने वास्ते हस्तलेख व अंगूठा विशेषज्ञ श्री दिवान के.एव. पूरी पटियाला के पास दस्तावेज भेजे जहां से दोनों ही दस्तावेज पर रामचन्द्र के अंगुष्ठ होने की रिपोर्ट वादी को प्राप्त हुई है। वादी न्यायालय में यह घोषणा पाने का अधिकारी है कि भूमि 28 किला की बाबत वादी तन्हा खातेदार काश्तकार है। जिसमें प्रतिवादीगण नं. 1 ता 6 का कोई हक व हिस्सा नहीं है यह कि प्रतिवादी नं. 1 ता 4 फर्जी तौर पर अपने आप को मृतक रामचन्द्र के नजदीकी वारिस बतलाकर वाद भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं एवं वादी को बेदखल करना चाहते है। वादी ने अधीनस्थ न्यायलाय में प्रश्नगत 28 किला बारानी कृषि भूमि में वादी रामकुमार को तन्हा खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादी गण नं. 1 ता 6 का उसमे कोई हक व हिस्सा नहीं की घोषणा करने एवं जमाबंदी संवत 2050 ता हाल को दुरूस्त कर उसमे मनीराम, अमीलाल, मोटिया उर्फ मोटाराम का नाम कलमजन कर वादी का नाम बतौर खातेदार काश्त कार दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि वसीयत के आधार पर वादी ने दावा हाजा प्रस्तुत की है वह वसीयत कूटरचित है। ऐसी कोई वसीयत मृतक रामचन्द्र द्वारा निष्पादित नहीं की गई थी। मृत्यु से पूर्व रामचन्द्र काफी अरसे तक बिमार रहता था दिनांक 28.07.87 को भी वह मृत्यु शैया पर था। रामचन्द्र द्वारा विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध में वादी के पिता मनीराम के साथ मुकदमेबाजी चल रही थी और जो रामचन्द्र की मृत्युपरान्त चलती रही इसलिए यह सम्भव नहीं है कि मृत्यु से 3 रोज पूर्व मृतक रामचन्द्र वादी के पक्ष में वसीयत लिखता। वो कागज जिस पर वसीयत लिखी हुई बताई जाती है उस कागज को देखने से स्पष्ट है कि ये कागज 10 साल तक पूराने कपड़ों में मुड़ा तुडा पडा रहो हो और बारिश में मकान गिरने पर वह प्राप्त हुआ हो ऐसा कागज देखने से ही असत्य लगता है। तथाकथित वसीयत किसी अर्जीनवीस की लिखी हुइ नहीं है और कुछ परिस्थितियां संदेहास्पद है। रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत वाद में राचमन्द्र की मृत्यु के बाद उसके विधिक उत्तराधिकारियों के सबंध में कार्यवाही हुई थी उस समय वादी अथवा उसके पिता मनीराम ने ऐसी वसीयत की बाबत कोई दरख्वास्त प्रस्तुत नही की। प्रतिवादी नं. 1 व 2 का देहान्त हो चुका है अतः वादी का दावा अबेट किये जाने योग्य है। दावा हाजा वसीयत की वैधता के बारे में है और ऐसा दावा को सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है। वादग्रस्त भूमि में खातेदार काश्तकार बहिस्सा बराबर माडूराम के पुत्र मिन प्रतिवादी व उसका भाई मनीराम है चूंकि उक्त कृषि भूमि उनके पिता माडूराम की पैदा करदा है। उपरोक्त कृषि भूमि का आधा हिस्सा तो मिन प्रतिवादी व मनीराम के नाम दर्ज है किन्तु बाकी आधा हिस्सा माडू व मोटा के नाम दर्ज है जो दुरूस्त किया जाकर मोटा का नाम हटाया जावे व माडूराम की जगह उनके पुत्र मिन प्रतिवादी व मनीराम का नाम दर्ज किया जावे गोया कुल कृषि भूमि मिन प्रतिवादी व मनीराम के नाम व बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावे व उनका खाता अलग अलग निश्चित किया जावे।

5. विचारण न्यायलाय ने दावा एवं जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम के तथ्यों के आधार पर वाद वादी खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि फरीकैन के मारूस मेवा के दो पुत्र माडूराम व मोटाराम उत्पन्न हुए। माडूराम अपने पिता मेवा के जीवनकाल में अपने मामा कालू पुत्र कुसला जिसक कोई औलाद नही थी के दिनांक 29.11.1919 को खोले चला गया व उसी रोज हस्ब रिति रिवाज दिनांक 29.11.1919 को एक खोला नामा माडू को खोले लेने बाबत दिनांक 29.11.1919 को तहरीर एवं तकमील करवा दिया। मेवा के समय की रौही मौजा भिरानी में 46 किला 3 बिस्वा खाम भूमि हुआ करती थी जो माडू के अपने मामा कालू के यहां खोले जाने के कारण तन्हा मोटा में निहित हो गई तथा कालू की सम्पति माडूराम को प्राप्त हुई।
8. मोटाराम के भी कोई नरीना औलाद नही होने के कारण उसने दिनांक 03.07.1944 को फरीकैन में प्रचलित रिति रिवाज के अनुसार माडूराम के पुत्र रामचन्द्र को खोले लिया एक खोला नामा सब रजिस्ट्रार के समक्ष तहरीर एवं तकमील रजिस्टर करवा दिया उसी रोज से रामचन्द्र मोटा को खोलायत पुत्र हो गया।
9. रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 203/184 के मु. नं. 325 किला नं. 15,16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, मु. नं. 360 किला नु. 2, 3, 4, ,7, 8, 9, 10, मु. नं. 457 किला नं. 21 मु. नं. 458 किला नं. 25, मु. नं. 491 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 कुल 28 किला बारानी कृषि भूमि स्थित है जो मेवा के समय की है। मेवा के जीवनकाल में माडू अपने मामा कालू के खोले जाने के कारण मेवा की उक्त 28 किला कृषि भूमि में तन्हा मोटाराम खातेदार काश्तकार हो गया। मोटाराम का भी अर्सा दराज पूर्व देहान्त हो चुका है। बाद बफात मोटा उक्त कृषि भूमि रामचन्द खोलायत पुत्र मोटाराम में निहित हो गई। मोटाराम की उक्त कृषि भूमि जो उसे अपने पिता मेवाराम से प्राप्त हुई थी सहवन माडूराम व मोटाराम दोनों के नाम दर्ज हो गई तथा माडू की मृत्यु के बाद 1/2 हिस्सा में मनीराम व अमीलाल प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज करवा ली एवं मोटिया उर्फ मोटाराम का नाम 1/2 हिस्से में बदस्तूर कायम रहा जब माडूराम के खोले जाने के कारण उसका व उसके पुत्रों मनीराम व अमीलाल का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही रहा था क्यों कि माडूराम अपने मामा कालू का वारिस हो गयाथा। वादी रामकुमार अपने पिता से करीब 15 वर्ष पूर्व अलग हो गया था। वादी रामकुमार अपने ताउ रामचन्द्र के अकेले व कुंवारे होने के कारण उसकी सेवा किया करता था तथा रामकुमार के खाने पीने व बीमारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आदि का खर्चा वादी रामकुमार वहन किया करता था। रामचन्द्र वादी की सेवा से बहुत प्रसन्न था रामचन्द्र की मृत्यु कर्म, खाने–पीने, बीमारी आदि का सारा खर्चा वादी रामकुमार ने वहन किया था। रामचन्द्र ने अपनी मृत्यु से पूर्व वादी की सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 28.7.87 को अपनी समस्त सम्पति वादी के हक में वसीयत कर दी थी व एक वसीयतनामा वादी के हक में दिनांक 28.7.87 को तहरीर एवं तकमील करवा दिया। राचमन्द्र का देहान्त हो गया। वाद भूमि जो रामचन्द्र को अपने पिता मोटाराम से प्राप्त हुई थी का वादी रामचन्द्र द्वारा करवाई गई वसीयत की अनुपालना में वादी खातेदार काश्तकार हो गया। मृतक रामचन्द्र द्वारा वादी के हक में तहरीर एवं तकमील करवाई गई वसीयत वादी की पत्नी द्वारा अपने सन्दूक में रखी हुई थी जो उसके पुराने कपड़ों में इधर उधर हो गई थी और वादी को नहीं मिल सकी गत दिनों भारी बरसात के कारण वादी के मकानात की छतें खराब हो गई उसमें पानी गिरने लगा वादी ने अपने घर के मकान को खराब होने से बचाने के लिए सारा सामान बांध कर पड़ोसियों के मकान में डाला। इस दौरान कपड़ों मं धंसी हुई वसीयत निकल कर गिरने पर उक्त वसीयत वादी को मिली इसलिए अब वादी वसीयत मिलने पर उसके आधार पर न्यायालय में फरियादी हुआ है। वादी को वसीयत मिलने पर व वसीयत सायल के पक्ष में होने का प्रतिवादीगण को जब पता चला तो उन्होंने भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी दी और वादी को कहा कि न्यायालय में हमारा वाद चल रहा है। वादी द्वारा पता करने पर मालूम हुआ कि मृतक रामचन्द्र ने श्रीमान अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नोहर व सहायक कलक्टर मु0. नोहर भादरा के न्यायालय में वादग्रस्त कृषि भूमि की बाबत अलग अलग दावे कर रखे हैं तब वादी द्वारा दोनों दावों के सम्बन्ध में पूर्ण तथ्य मालूम करने पर ज्ञात हुआ कि रामचन्द्र की मृत्यु के बाद दोनों दावों में प्रतिवादीगण ने आपस में दुर्भि सन्धी वादी के खिलाफ कर रखी है। वादी को जान बूझकर दावे में पक्षकार नही बनाया और रामचन्द्र की जगह प्रतिवादी गण नं. 1 ता 4 ने दुर्भिसन्धी कर मृतक रामचन्द्र की जमीन हडप करने के लिए अपने आपको मृतक रामचन्द्र के दूर का रिश्ता बतलाकर रामचन्द्र के उत्तराधिकारी के रूप में बतौर विधिक प्रतिनिधी दावा अपना नाम दर्ज करवा लिया, जबकि रामचन्द्र का प्रतिवादी नं. 1 ता 4 के साथ कोई भी नजदीकी रिश्तेदारी एवं सम्बन्ध विद्यमान नहीं थे एवं मृतक रामचन्द्र द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत करने के कारण वादी ही उसका एक मात्र उत्तराधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

था। वादी ने रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत दावे व वकालतनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर उस पर रामचन्द्र द्वारा किये गये अंगूठा निशान की रामचन्द्र द्वारा दिनांक 28.7.87 को वादी के हक में की गई वसीयत में किये गये अंगूष्ठ निशान को मिलान कावाने वास्ते हस्तलेख व अंगूठा विशेषज्ञ श्री दिवान के.एव. पूरी पटियाला के पास दस्तावेज भेजे जहां से दोनों ही दस्तावेज पर रामचन्द्र के अंगुष्ठ होने की रिपोर्ट वादी को प्राप्त हुई है। वादी न्यायालय में यह घोषणा पाने का अधिकारी है कि भूमि 28 किला की बाबत वादी तन्हा खातेदार काश्तकार है। जिसमें प्रतिवादीगण नं. 1 ता 6 का कोई हक व हिस्सा नहीं है यह कि प्रतिवादी नं. 1 ता 4 फर्जी तौर पर अपने आप को मृतक रामचन्द्र के नजदीकी वारिस बतलाकर वाद भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं एवं वादी को बेदखल करना चाहते है। वादी ने अधीनस्थ न्यायलाय में प्रश्नगत 28 किला बारानी कृषि भूमि में वादी रामकुमार को तन्हा खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादी गण नं. 1 ता 6 का उसमे कोई हक व हिस्सा नहीं की घोषणा करने एवं जमाबंदी संवत 2050 ता हाल को दुरूस्त कर उसमे मनीराम, अमीलाल, मोटिया उर्फ मोटाराम का नाम कलमजन कर वादी का नाम बतौर खातेदार काश्त कार दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा।

10. विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य वादी मे वादी/अपीलाण्ट व धर्मपाल, रामसिंह की साक्ष्य करवाई गई व दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में मात्र प्रतिवादी बजरंग ने ही अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने अपने वाद के समर्थन में समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे जिसमें माडूराम द्वारा कालूराम के गोद जाना व रामचन्द्र मोटाराम के गोद गया होने के संबंध में दस्तावेजात व रामचन्द्र द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में वसीयत का निष्पादन करना इत्यादि समस्त तथ्य साबित कर दिये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा वादी की साक्ष्य का कतई परिशीलन नहीं किया व सरसरी तौर पर ही अपीलाण्ट का वाद बिना किसी आधार के खारिज कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो विवाद्यक कायम किये उनके सबंध में प्रत्येक तनकी पर अपना कोई विनिश्चय नहीं करते हुए मात्र तनकी नं. 1 जिसका भी सम्पूर्ण विश्लेषण नहीं करते हुए सरसरी तौर पर ही वाद खारिज कर दिया जबकि

राजस्व अपील प्राधिकारी

कानूनी रूप से प्रत्येक तनकी का निराकरण होना चाहिए था। वसीयत के निष्पादन व उसके सही होने के प्रमाण के संबंध में भी समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष थे लेकिन उन पर भी कोई विचार नहीं करते हुए मात्र सरसरी तौर पर ही अपना निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय में इस कृषि भूमि पर अपीलाण्ट का अकेले का ही कब्जा है इस तथ्य को भी कतई अनदेखा किया है व मात्र गवाहान की साक्ष्य का भी सही विश्लेषण नहीं किया जबकि वसीयत व खोलानामा के संबंध में प्रमाणित दस्तावेज अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष होने पर वादी का वाद डिक्री किया जाना चाहिए था लेकिन इस तथ्य को विचारण न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

11. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि जिस वसीयत के आधार पर वादी ने दावा हाजा प्रस्तुत की है वह वसीयत कूटरचित है। ऐसी कोई वसीयत मृतक रामचन्द्र द्वारा निष्पादित नहीं की गई थी। मृत्यु से पूर्व रामचन्द्र काफी अरसे तक बिमार रहता था दिनांक 28.07.87 को भी वह मृत्यु शैया पर था। रामचन्द्र द्वारा विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध में वादी के पिता मनीराम के साथ मुकदमेबाजी चल रही थी और जो रामचन्द्र की मृत्युपरान्त चलती रही इसलिए यह सम्भव नहीं है कि मृत्यु से 3 रोज पूर्व मृतक रामचन्द्र वादी के पक्ष में वसीयत लिखता। वो कागज जिस पर वसीयत लिखी हुई बताई जाती है उस कागज को देखने से स्पष्ट है कि ये कागज 10 साल तक पूराने कपड़ों में मुड़ा तुड़ा पडा रहो हो और बारिश में मकान गिरने पर वह प्राप्त हुआ हो ऐसा कागज देखने से ही असत्य लगता है। तथाकथित वसीयत किसी अर्जीनवीस की लिखी हुइ नहीं है और कुछ परिस्थितियां संदेहास्पद है। रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत वाद में राचमन्द्र की मृत्यु के बाद उसके विधिक उत्तराधिकारियों के सबंध में कार्यवाही हुई थी उस समय वादी अथवा उसके पिता मनीराम ने ऐसी वसीयत की बाबत कोई दरख्वास्त प्रस्तुत नही की। प्रतिवादी नं. 1 व 2 का देहान्त हो चुका है अतः वादी का दावा अबेट किये जाने योग्य है। दावा हाजा वसीयत की वैधता के बारे में है और ऐसा दावा को सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है। वादग्रस्त भूमि में खातेदार काश्तकार बहिस्सा बराबर माडूराम के पुत्र मिन प्रतिवादी व उसका भाई मनीराम है चूंकि उक्त कृषि भूमि उनके पिता माडूराम की पैदा करदा है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपरोक्त कृषि भूमि का आधा हिस्सा तो मिन प्रतिवादी व मनीराम के नाम दर्ज है किन्तु बाकी आधा हिस्सा माडू व मोटा के नाम दर्ज है जो दुरूस्त किया जाकर मोटा का नाम हटाया जावे व माडूराम की जगह उनके पुत्र मिन प्रतिवादी व मनीराम का नाम दर्ज किया जावे गोया कुल कृषि भूमि मिन प्रतिवादी व मनीराम के नाम व बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावे व उनका खाता अलग अलग निश्चित किया जाने का कथन किया था। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

12. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

13. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था। अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि को रामचन्द्र चन्द्र ने उसके पक्ष में वसीयत की दी थी। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि को दादालाई साबित नहीं किया है और दादा लाई दस्तावेजात पेश नहीं किया एवं वसीयत की वैधता का अधिकार इस न्यायलाय के क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानते हुए वाद खारिज किया है। रामकुमार के जिरह के दौरान अपने बयान में यह कथन किया कि वसीयत लिखने के तीन चार दिन बाद रामचन्द्र की हार्ट अटैक से मृत्यु होना बताया है एवं रामचन्द्र मेरे पास तीन चार महिना ही साथ रहा था एवं इससे पहले रामचन्द्र अकेला ही रहता था जबकि शपथ–पत्र मुख्य परीक्षा में लिखाया है कि रामचन्द्र बीमार था। अपीलाण्ट ने वसीयत के आधार पर स्वयं को प्रश्नगत भूमि प्राप्त करने का अधिकारी माना है। जिसक उसने अपने बयान में बताया है कि वसीयत की लिखापढी रामचन्द्र ने मनोहर कारेल निवासी भिरानी से करवायी थी लेकिन वादी मनोहर कारेल निवासी भिरानी के दावा में साक्ष्य नहीं करवाई गई। इसके अतिरिक्त गवाह धर्मपाल ने अपने शपथ–पत्र में बताया है कि रामचन्द्र ने वसीयत मनोहरलाल कारेल से लिखा पढी की थी वसीयत के समय मैं स्वयं खमाणाराम, मेहरचन्द्र व फूलाराम जो मेरा भाई है भी मौजूद थे परन्तु जिरह के दौरान धर्मपाल ने बताया कि गवाह फुलाराम अनूपशहर का हो, खमाणाराम भिरानी का हो, उक्त गवाह फुलाराम व खमाणाराम को पहचानते ही नहीं है। तथा गवाहान ने रामचन्द्र के कहने पर अंगूठे लगाये थे तथा रामचन्द्र ने मुझे नही बुलाया था मैं तो केवल फुलाराम के साथ गाड़ी लेकर गया था, रामचन्द्र कभी बीमार नही रहा तथा रामसिंह पुत्र सांवतराम जाति धानक निवासी भिरानी तहसील भादरा ने अपने शपथ–पत्र में लिखा है कि रामचन्द्र स्वस्थ था एवं वसीयत मनोहरलाल ने लिखी थी । इस

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रकार गवाह धर्मपाल रामसिंह के बयान शपथ–पत्र एवं जिरह के दौरान अलग अलग हैं। विचारण न्यायलाय ने उक्त बयानात को सही नहीं समझाा वादी रामकुमार ने वसीयत की लिख पढी करने वाले मनोहर लाल के साक्ष्य नहीं करवाये। वसीयत को सब रजिस्ट्रार के सामने क्यों नहीं पेश किया गया इसका कोई संतोषजनक जवाब अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया न ही अपील में इस संबंध में कुछ कथन किये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

14. उपरोक्त विवेचन एवं वश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.03.2015 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायलाय का अभिलेख निर्णय की प्रामणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

अपील संख्या 2015/00224 (10/2015) 223 आरटीएक्ट

रामकुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. मातूराम पुत्र श्योनाथ जाति जाट निवासी बड़ी बहन, तहसील व जिला रोहतक (हरियाणा) –फौत

   1ए–पृथ्वी
   1बी–रघुवीर
   1सी–धर्मा
   1डी–रणवीर
   1ई – वीरमति

   पिसरान स्व0 श्री मातूराम पुत्र श्री श्योनाथ अकवाम जाट निवासीयान बड़ी बहन, तहसील व जिला रोहतक (हरियाणा)

2. महीराम पुत्र श्योनाथ जाति जाट निवासी बड़ी बहन, तहसील व जिला रोहतक (हरियाणा)–फौत

   2ए चन्द पुत्री स्व0 श्री माहीराम पुत्र श्योनाथ
   2 बी– रिशालो पत्नी स्व0 श्री माहीराम पुत्र श्योनाथ

3. चन्दगीराम
4. दरियाराम

   पुत्रगण श्री श्योनाथि जाति जाट निवासीगण बड़ी बहन, तहसील व जिला रोहतक (हरियाणा)–फौत

5. मनीराम पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
6. अमीलाल पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ –(फौत)

   6ए–छननो बेवा स्व श्री अमीलाल पुत्र स्व0 श्री माडूराम
   6बी– मीरा पुत्री स्व0 श्री अमीलाल पत्नी श्री नरेन्द्र पुत्र श्री रामकिशन जाति जाट निवासी राजपुरा (जोडकिया) तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   6 सी–धोली पुत्र स्व0 श्री अमीलाल पत्नी मांगीराम जाति जाट निवासी राजपुरा (जोडकिया) तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6डी– बजरंगलाल पुत्र स्व श्री अमीलाल जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा –– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2015 द्वारा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा प्रकरण संख्या 159/2013 बअनवानी रामकुमार बनाम मातूराम व अन्य

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री बहादुर राम स्वामी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट, श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.03.2015 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.01.2020 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी) आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.03 18:28:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: